

प्रो० दीपक नगरिया

परीक्षा नियंत्रक



डॉ० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, उ०प्र०

(पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ)

सेक्टर-11, जानकीपुरम विस्तार, लखनऊ, उ०प्र०-226031

पत्रांक सं० : ए०के०टी०यू०/प०नि०का०/2026/2707

दिनांक: 18, मार्च, 2026

सेवा में,

निदेशक/प्राचार्य

डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ से सम्बद्ध समस्त संस्थाएँ।

विषय: सत्र 2025-26 विषम सेमेस्टर परीक्षा के विभिन्न पाठ्यक्रमों के चैलेंज मूल्यांकन (द्वितीय चरण) के सम्बन्ध में।


महोदय,

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध सभी संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को सूचित करना है कि सत्र 2025-26 विषम सेमेस्टर की परीक्षा जो दिनांक 23/12/2025 से 31/01/2026 एवं 10/02/2026 से 19/02/2026 तक आयोजित की गई परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले छात्र/छात्राओं का परीक्षा परिणाम जारी किया जा चुका है।

उक्त परीक्षाओं से सम्बन्धित ऐसे छात्र जो अपनी उत्तर-पुस्तिकाओं का चैलेंज मूल्यांकन स्टेज-1 हेतु आवेदन किया है, की उत्तर-पुस्तिकाएं छात्र के ई०आर०पी० लॉगिन में उपलब्ध करा दी गई हैं। अतः इच्छुक छात्र/छात्राएं अपनी उत्तर पुस्तिका को देखते/जांच करते हुए नियमानुसार दिनांक 18 मार्च 2026 से 29 मार्च, 2026 तक निर्धारित शुल्क रू० 2500.00 (दो हजार पाँच सौ) मात्र प्रति विषय की दर से ऑन-लाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑन-लाइन चैलेंज मूल्यांकन कराये जाने से सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत पत्र संख्या ए०के०टी०यू०/प०नि०का०/2026/2642 दिनांक 21 फरवरी, 2026 एवं ए०के०टी०यू०/प०नि०का०/2026/2684 दिनांक 07 मार्च 2026 के अनुसार कार्यवाही के उपरान्त ही छात्र/छात्राएँ चैलेंज मूल्यांकन स्टेज-2 हेतु आवेदन कर सकेंगे। चैलेंज मूल्यांकन के संबंध में उत्तर प्रदेश के शासनादेश संख्या 39298/16-1099/17/2020, दिनांक 11 दिसम्बर, 2020 श्री राज्यपाल /कुलाधिपति के अपरमुख्य सचिव के पत्र संख्या: ई-7443/03-जी०एस०/2019 (टी०सी०) दिनांक 26.11.2020 एवं विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति-2021 की 68वीं बैठक के मद संख्या 68.13 में चुनौती मूल्यांकन के प्राप्तांक के संबंध में लिये गये निर्णय निम्नवत है:-

- 1 दो विषय विषयों/परीक्षकों द्वारा प्रदत्त प्राप्तांकों का औसत निकाला जाए।
- 2 यह औसत अन्तिम रूप से स्वीकृत होगा और अंकपत्र में देय होगा, चाहे यह मूल प्राप्तांकों से कम हो अथवा अधिक।
- 3 यदि औसत और मूल प्राप्तांकों में 20 प्रतिशत से अधिक का अन्तर होता है तब परीक्षार्थी द्वारा जमा किए गए शुल्क रू० 2500/- में से रू० 1000/- धनराशि की कटौती करते हुए शेष रू० 1500/- परीक्षार्थी को वापस किया जायेगा। शुल्क वापसी हेतु छात्रों द्वारा बैंक विवरण (Account No., IFSC Code & Bank Name) को भरते समय जांच कर लिया जाए कि उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक विवरण सही भरे गये हैं। यदि छात्र द्वारा गलत बैंक विवरण या किसी अन्य के खाता का विवरण दिया जाता है तो भुगतान में असुविधा के लिए छात्र स्वयं जिम्मेदार होगा।

अतः आपसे अपेक्षा है कि अपने संस्थान में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को उक्त के विषय में सूचित कर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।


(प्रो० दीपक नगरिया)
परीक्षा नियंत्रक

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक: उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 प्रतिकुलपति/कुलसचिव/वित्त अधिकारी, ए०के०टी०यू०, लखनऊ।
- 2 संयुक्त/उप परीक्षा नियंत्रक, ए०के०टी०यू०, लखनऊ।
- 3 प्रभारी ई०आर०पी०, ए०के०टी०यू०, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित की उपरोक्त के सन्दर्भ समयानुसार छात्रों का चैलेंज मूल्यांकन का आवेदन तथा निर्धारित शुल्क जमा कराने हेतु यथा आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।
- 4 जनसम्पर्क अधिकारी, ए०के०टी०यू०, लखनऊ।
- 5 स्टाफ आफिसर, कुलपति, ए०के०टी०यू०, लखनऊ को मा० कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।

(प्रो० दीपक नगरिया)
परीक्षा नियंत्रक

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ-226027

संख्या ई-7443/03-जी0एस0/2019(TC)
दिनांक : 26/11/2020

प्रेषक,

श्री राज्यपाल / कुलाधिपति के अपर मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलपति / निदेशक

समस्त उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय / संस्थान,
उत्तर प्रदेश।

विषय:—विश्वविद्यालयों में चुनौती मूल्यांकन (Challenged Evaluation) प्रस्तावित
अध्यादेश को समान रूप से लागू किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक इस सचिवालय के पत्रांक
ई-2129/03-जी0एस0/2019(TC), दिनांक 24-04-2020 का सन्दर्भ लें, जिसके माध्यम
से प्रेषित की गई चुनौती मूल्यांकन की गाईड लाइन दिनांक 22-02-2020 पर आपकी
आख्या/अभिमत की मांग की गयी थी, जिस पर प्राप्त कतिपय आख्या/अभिमत पर
विचारोपरान्त अन्तिम रूप से तैयार की गयी गाईड लाईन (मानक निर्देश) को प्रदेश के
समस्त राज्य विश्वविद्यालयों/संस्थानों में एक जैसी व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया
गया है।

अतः इस संबंध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न गाईड
लाईन (मानक निर्देश) को सभी विश्वविद्यालय/संस्थान उन पर प्रवृत्त विधियों, उपविधियों
आदि की व्यवस्था के तहत सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करके इस व्यवस्था को अपने
विश्वविद्यालय/संस्थान में लागू किये जाने का विचार करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(महेश कुमार गुप्ता)

कुलाधिपति / कुलाध्यक्ष के अपर मुख्य सचिव।

संलग्नक:—यथोपरि।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. अपर मुख्य सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
4. अपर मुख्य सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
5. प्रमुख सचिव, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
6. प्रमुख सचिव, पशुधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
7. अपर मुख्य सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

(महेश कुमार गुप्ता)

कुलाधिपति / कुलाध्यक्ष के अपर मुख्य सचिव।

CoE

चुनौती मूल्यांकन
(Challenge Evaluation)

चुनौती मूल्यांकन (Challenge Evaluation) दो चरणों में होगा—

1. मूल्यांकित मूल उत्तर पुस्तिका की संचरित प्रति (scanned copy) देखने की सुविधा
2. मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका का अवलोकन करने के उपरान्त और मूल्यांकन से असंतुष्ट होने पर पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन करने की सुविधा

आवेदन अवधि —

चुनौती मूल्यांकन (Challenge Evaluation) के प्रथम चरण के लिए परीक्षार्थी परीक्षाफल घोषित होने के 30 (तीस) दिन के अन्दर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

चुनौती मूल्यांकन के प्रथम चरण का शुल्क —

चुनौती मूल्यांकन (Challenge Evaluation) के प्रथम चरण लिए सभी पाठ्यक्रम के परीक्षार्थी को आवेदन शुल्क रु0 300/- प्रति प्रश्नपत्र ऑनलाइन जमा करना होगा।

उत्तर पुस्तिकाएं उपलब्ध करवाने के संबंध में —

1. आवेदन के उपरान्त परीक्षार्थी को मूल्यांकित मूल उत्तर पुस्तिका की संचरित प्रति (scanned copy) अवलोकन हेतु ऑनलाइन उपलब्ध करवायी जा सकती है।
2. परीक्षार्थी द्वारा मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका का अवलोकन करने के उपरान्त और मूल्यांकन से असंतुष्ट होने पर चुनौती मूल्यांकन (Challenge Evaluation) के दूसरे चरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन अवधि —

चुनौती मूल्यांकन (Challenge Evaluation) के दूसरे चरण के लिए परीक्षार्थी परीक्षाफल घोषित होने के 45 (पैंतालिस) दिन के अन्दर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

चुनौती मूल्यांकन के दूसरे चरण का शुल्क —

चुनौती मूल्यांकन (Challenge Evaluation) के दूसरे चरण के लिए सभी पाठ्यक्रम के परीक्षार्थी को आवेदन शुल्क रु0 2500/- प्रति प्रश्नपत्र ऑनलाइन जमा करना होगा।

चुनौती मूल्यांकन की प्रक्रिया —

1. प्रत्येक प्रश्न पत्र के चुनौती मूल्यांकन के दूसरे चरण के हेतु कम से कम 4 (चार) विषय विशेषज्ञों/ परीक्षकों की एक नामावली (panel) संबंधित विभागाध्यक्ष के माध्यम से परीक्षा नियंत्रक द्वारा कुलपति को प्रस्तुत की जाए।
2. चुनौती मूल्यांकन (Challenge Evaluation) के लिए प्रस्तुत उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन उपर्युक्त नामावली में से नामित किन्हीं दो विषय विशेषज्ञों/ परीक्षकों द्वारा करवाया जाए।
3. विषय विशेषज्ञ/ परीक्षक को नामित करने का कार्य सम्बन्धित विश्वविद्यालय के कुलपति अथवा इस सम्बन्ध में कुलपति द्वारा गठित समिति द्वारा किया जाए।
4. चुनौती मूल्यांकन (Challenge Evaluation) के लिए उत्तर पुस्तिका को विषय विशेषज्ञ/ परीक्षक के सम्मुख उपस्थित करने से पहले मूल परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक/अंकों का विवरण छिपा दिया जाए।

5. संबंधित उत्तर पुस्तिका की दो छाया प्रतियां तैयार करवायी जाएं और उन्हें नामित विषय विशेषज्ञों/ परीक्षकों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाए।

चुनौती मूल्यांकन के प्राप्तांक के संबंध में—

1. दोनों विषय विशेषज्ञों/ परीक्षकों द्वारा प्रदत्त प्राप्तांकों का औसत निकाला जाए।
2. यह औसत अन्तिम रूप से स्वीकृत होगा और अंक पत्र में देय होगा, चाहे वह मूल प्राप्तांकों से कम हों अथवा अधिक।
3. यदि औसत और मूल प्राप्तांकों में 20% से अधिक का अन्तर होता है तब परीक्षार्थी द्वारा जमा किए गए शुल्क ₹ 2500/- में से ₹ 1000/- की धनराशि काटकर शेष परीक्षार्थी को वापस कर दी जाए।

मूल्यांकन में लापरवाही बरतने पर मूल परीक्षक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किए जाने के संबंध में—

1. चुनौती मूल्यांकन (Challenge Evaluation) में प्राप्तांक अंकों में 20% से अधिक बदलाव होने की स्थिति में प्राथमिक स्तर पर मूल परीक्षक को नोटिस भेजी जाए।
2. यदि ऐसे परीक्षक के 3(तीन) से अधिक प्रकरण एक ही प्रश्न पत्र में उसी परीक्षा में आते हैं तब उस परीक्षक के, संबंधित प्रश्न पत्र के मूल्यांकन का पूरा पारिश्रमिक रोक दिया जाए। यदि ऐसे परीक्षक के 5(पांच) से अधिक प्रकरण एक ही प्रश्न पत्र में उसी परीक्षा में आते हैं तब उस परीक्षक को कम से कम दो वर्ष की अवधि हेतु परीक्षा संबंधी कार्यों से विवर्जित (debarred) रखा जाए और यदि 10 से अधिक प्रकरण एक ही प्रश्न पत्र में उसी परीक्षा में आते हैं तब उपर्युक्त के साथ-साथ उस परीक्षक की निजी विवरण पुस्तिका में प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज कर दी जाए।